न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 720–पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–04–2010 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक अपील प्रकरण क्रमांक आर.ई.सी./56/2008–09

.....

तरूण गोपाल पुत्र सुन्दरलाल जायसवाल,
निवासी अमलपुरा तहसील खण्डवा
जिला पूर्वनिमाड खण्डवा

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–कल्याण पुत्र गजानंद राजपूत
निवासी पंजाबी कॉलोनी खण्डवा
2–संतोष पुत्र रामराव चौहान
निवासी हम्सूद नाका खण्डवा
3–म0प्र0शासन
द्वारा जिला आबकारी अधिकारी खण्डवा
4–नितेश पुत्र अमोलचन्द्र राठौर
निवासी विद्युत नगर खण्डवा
5–रितेश पुत्र उदय सिंह राय
निवासी दुबे कॉलोनी खण्डवा

..... प्रत्यर्थीगण

– – –

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्र.3

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/1/18 को पारित)

अपीलार्थी ने यह निगरानी म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे संक्षेप में आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62(2)(सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30–01–2004 को आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त खण्डवा ने अटूट कालमुखी रोड पर एन.वी.डी.ए. रेस्ट हाउस के पास खण्डवा की ओर आ रही सफेद रंग की एक टेम्पो ट्रेक्स क्रमांक एम.पी.12–टी–0279 रोककर तलाशी लिये जाने पर उसमें अवैध रूप से परिवहन कर लाई जा रही भारत निर्मित विदेशी मदिरा के कुल 864 पाव(155.0 बल्क लीटर) जो गत्ते की 18 पेटियों में भरी थी, प्रत्यर्थी क्र. 1, 2, 4 व 5 से मौके पर मय वाहन के जप्त किये गये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/बी–121/2007–08 दर्ज कर दिनांक 13–05–2008 को आदेश पारित कर उपरोक्त वाहन राजसात किया गया एवं अधिगृहीत 864 क्वार्टर विदेशी मदिरा एवं राजसात वाहन को अपील अवधि पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी खण्डवा को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्ययन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 23–4–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 10–12–2015 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । उनके द्वारा केवल यही कहा गया कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर कर दिया जाये ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) कलेक्टर द्वारा विदेशी शराब परिवहन किया जाना किसी भी स्वतंत्र साक्षी के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया है । कलेक्टर द्वारा जिस साक्षी के कथन पर विश्वास कर आदेश पारित किया गया है, उसके द्वारा मौके पर जप्ती करना कथित किया है, किन्तु किस कंपनी की व किस ब्राण्ड की शराब थी यह नहीं बताया है कलेक्टर द्वारा न तो आरोपी के कथन लिये गये और वाहन कौन चला रहा था, इस बात का उल्लेख भी कही नहीं किया है, अतः कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णरूप

से सन्देहास्पद है, इस स्थिति पर आबकारी आयुक्त द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) अपीलार्थी का वाहन अन्य व्यक्तियों द्वारा किराये पर लिये जाने का कथन उसके द्वारा किया गया है और जो अपराध कारित हुआ है, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, इसलिये कलेक्टर द्वारा वाहन राजसात करने संबंधी कथन किया गया है वह अन्यायपूर्ण है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। कलेक्टर जिला खण्डवा के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है और अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि उन्हें आबकारी विभाग द्वारा गलत तरीके से फसाया गया है, और उसके द्वारा शराब का अवैध परिवहन नहीं किया गया है । अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है एवं जो कथन किये गये हैं उनमें भी आपस में विरोधाभास हैं । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से यह पूर्णतः स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा बिना वैध पास एवं परमिट के अवैध रूप से विदेशी मंदिरा का परिवहन किया गया है । इस कारण कलेक्टर जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसकी पुष्टि करने में आबकारी आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2010 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर